न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 03/2019

सांवरमल उर्फ अलफाराम अलका पुत्र तनसुख उर्फ मनसुख जाति माली निवासी वार्ड नं. 18 गिरधारी वाली ढाणी नवलगढ तहसील नवलगढ

—आवेदक

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—अनावेदक

प्रार्थना पत्र अं.आदेश 136 एल.आर.एक्ट
बाबत करने संशोधन राजस्व इन्द्राज

ऐडवोकेट आवेदक :— श्री आनन्दीलाल सैनी
ऐडवोकेट अनावेदकगण :— राज पैरोकर ना0तहसीलदार नवलगढ

आदेश

दिनांक 20.06.2019

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम नवलगढ की सरहद में भूमि ख.न. 1029/0.21, 1030/0.21, 1031/0.12, किता 3 कुल रकबा 0.54 है0 व ख.न. 1210/0.70, 1211/1.61, 1212/0.60, किता 3 कुल रकबा 2.91 है0 स्थित है उपरोक्त वर्णित भूमि में आवेदक 1/6 व 1/6 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार कांश्तकार है जिसका कोई विवाद नही है। आवेदक का नाम गलती से सांवरमल की जगह अलफाराम व अलका अंकित कर दिया, जबकि आवेदक का वास्तविक नाम सांवरमल है जो कि समस्त राजकीय दस्तावेज राशन कार्ड बैंक खाता, आधारकार्ड वोटरलिस्ट भामाशाह कार्ड बिजली का बिल एवं जमाबंदी आदि समस्त दास्तावेज में आवेदक का नाम सांवरमल ही अंकित है। आवेदक के पिता तनसुख उर्फ मनसुख की मृत्यु होने पर पटवारी हल्का नवलगढ के नाम सहवन से नामा0 भरते सांवरमल की बजाय अलफाराम व अलका अंकित कर दिया उपरोक्त भूल पटवारी हल्का नवलगढ के द्व द्वारा भूलवश हुई है जिससे उपरोक्त नाम को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य मे नाम को लेकर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नही रहे। आवेदक को गलत नाम की जानकारी दिनांक 16.03.19 को लोने लेने के लिये जमाबंदी की नकल लेने पर हुई तब आवेदक को ज्ञात हुआ कि आवेदक का नाम सांवरमल की बजाय अलफाराम व अलका सहवन से दर्ज हो गया जिसके लिये आवेदक अविलम्ब शुद्धि के लिये माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं आवेदक का नाम अलफाराम व अलका की बजाय सांवरमल व पिता का नाम मनसुख की जगह तनसुख रिकार्ड में दर्ज किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तलबी अनावेदक की गई। अनावेदक द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि जमाबंदी संवत 2075—78 ग्राम नवलगढ के भूमि ख.न. 1029, 1030, 1031 की खातेदारी में अलफाराम पुत्र मनसुख हि0 1/6 दर्ज है ख.न. 1210, 1211, 1212 की खातेदारी में अलका पुत्र तनसुख हि0 1/6 दर्ज जमाबंदी है। उक्त वाद में वादी अलफाराम उर्फ अलका पुत्र मनुसख उर्फ तनसुख के स्थान पर सांवरमल पुत्र तनसुख की शुद्धि करना चाहता है जिसके संबंध में भूमिधारक को कोई एतराज नहीं है। पूर्व में एक अन्य खाता जो ग्राम नवलगढ की जमाबंदी 2068—71 के खाता सं0 376 में

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर नवलगढ़

18/03/2017

अलफाराम पुत्र मनसुख हि0 1/6 के स्थान पर सांवरमल पुत्र मनसुख उर्फ तनसुख हि0 1/6 की शुद्धि की जा चुकी अंकित किया गया।

जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम नवलगढ संवत 2075–78 के अनुसार भूमि खाता सं0 20 के ख.न. 1029/0.21, 1030/0.21, 1031/0.12 किता 3 कुल रकबा 0.54 है0 की खातेदारी में अलफाराम पुत्र मनसुख हिस्सा 1/6 जाति माली सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी ग्राम नवलगढ संवत 2075–2078 के खाता संख्या 426 के अनुसार भूमि ख.न. 1210/0.70, 1211/1.61, 1212/0.60 किता 3 कुल रकबा 2.91 है0 की खातेदारी अलका पुत्र तनसुख हि0 1/6 जाति माली सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इस संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया यथा विद्युत बिल में सांवरमल पुत्र मांसुखराम मल, पेयजल बिल में सांवलराम पुत्र तनसुख जमाबंदी ग्राम नवलगढ संवत 2068–71 खाता सं0 376 में नामा0सं0 3056 नि.दि. 26.12.17 के अनुसार अलफाराम पुत्र मनसुख्या हि0 1/6 के स्थान पर सांवरमल पुत्र मनसुख उर्फ तनसुख हि01/6 दर्ज करना स्वीकार किया गया है। मतदाता परिचय पत्र में सांवरमल पुत्र तनसुखराम, आधार कार्ड में सांवमल सैनी पुत्र तनसुखराम, परिवार राशनकार्ड सांवरमल पुत्र तनसुखराम तथा पासबुक बैंक आफ बडौदा शाखा नवलगढ में सांवरमल पुत्र तनसुखराम का अंकन किया गया है। उपरोक्त दस्तावेजात तथा जमाबदी खाता सं0 376 के अनुसार आवेदक का सही नाम सांवरमल पुत्र तनसुख नाम सही होना प्रमाणित है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र तहसीलदार नवलगढ व प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम नवलगढ की भूमि खाता सं0 खाता सं0 1029, 1030, 1031 किता 3 कुल रकबा 0.54 है0 हि0 1/6 में अलफारा पुत्र मनसुख तथा खाता सं0 426 के ख.न. 1210, 1211, 1212 किता 3 कुल रकबा 2.91 है0 में अलका पुत्र तनसुख हि0 1/6 के स्थान पर सांवरमल पुत्र तनसुख दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में आवेदक का नाम दुरूस्त कर अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 20.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.6.19

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ